e-mitra

1 STOP AKSH

We smarten up your life..™

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

अब निर्माण श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा में होने वाले खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं हैं। क्योंकि श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से श्रमिकों के उत्थान के लिए भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण जैसी कई योजनाए शुरू की हैं।

राज्य के 58 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को 64 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई ।

श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेंगे 8 हजार से 25 हजार

इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए 8 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप 35 हजार भी देय है।

छात्रवृति राशि

	कक्षा 6 से 8 तक		कक्षा 9 से 12 तक		आईटीआई		डिप्लोमा	
छात्रवृति	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन
राशि रु.	8,000/-	9,000/-	9,000/-	10,000/-	9,000/-	10,000/-	10,000/-	11,000/-

	स्नातक (सामान्य)		स्नातक (प्रोफेशनल)		स्नातकोत्तर (सामान्य)		स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)	
छात्रवृति	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन	छात्र	छात्र/विशेष योग्यजन
राशि रु.	8,000/-	9,000/-	9,000/-	10,000/-	9,000/-	10,000/-	10,000/-	11,000/-

मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार	कक्षा 8 से कक्षा 10	कक्षा 11 से कक्षा 12	डिप्लोमा	स्नातक	स्नातकोत्तर	स्नातक (प्रोफेशनल)	स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल)
राशि रु.	4,000/-	6,000/-	10,000/-	8,000/-	12,000/-	25,000/-	35,000/-

पात्रता एवं शर्ते

1. हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि हो।
2. सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पालीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो।
3. मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75%अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो।

आवेदन की समय सीमा

कक्षा उत्तीर्ण करने से छः माह अथवा 31, मार्च तक, जो भी बाद में हो।

आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. भरा हुआ योजना का फॉर्म।
2. उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की अंक तालिका की प्रति।
3. शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में निर्धारित प्रपत्रानुसार)।
4. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति।
5. भामाशाह परिवार कार्ड या भामाशाह नामांकन की प्रति।
6. आधार कार्ड की प्रति।
7. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।

आवेदन शुल्क - 32/- रूपये